

ida

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इंदौर (म.प्र.)

DOWNLOAD FORM

વિજ્ઞાપન ક્રમાંક : 236

दिनांक : 03.10.2018

योजना क्रमांक 113 में आवासीय
उपयोग के 16 भूखण्ड को पूर्ण
स्वामित्व अधिकार (फ्री-होल्ड) पर
व्ययन करने हेतु निविदा प्रपत्र



“जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य है”



निविदादाता के हस्ताक्षर

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

निविदा दस्तावेज (Bid Document)

[नियम 6 (चार) देखिए]

विज्ञापन क्रमांक 236

दिनांक 03.10.2018

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :

भाग एक	:	सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन	:	सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र

भाग-1 सम्पत्ति हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश (Instructions for Submission of Bid for Property)
(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत किया जाए)

विज्ञापन क्रमांक 236 दिनांक 03.10.2018 के संदर्भ में भूखण्ड (Plot) के आवंटन हेतु, इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव निर्धारित की गई निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक: निविदा तथा सम्पत्ति के आवंटन बाबत पात्रता (Eligibility for Bid and Allotment of Property)

1. विज्ञापन में दर्शाई गई प्रत्येक सम्पत्ति की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता (Bidder) विज्ञापन में दर्शाई गई एक से अधिक सम्पत्तियों हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक् निविदा प्रपत्र क्रय करने होंगे।
3. ऐसे इच्छुक निविदा प्रस्तुतकर्ता, जो वेबसाइट से निविदा प्रपत्रों को डाउनलोड करते हों, उनके द्वारा ऐसी समस्त सम्पत्तियों जिनके लिए निविदाएं प्रस्तुत की जा रही है, निविदा दस्तावेज शुल्क के लिये सम्पत्तियों के लिये पृथक् प्रपत्र के साथ पृथक् निविदाएं प्रस्तुत की जाएंगी।
4. किसी अवयस्क (Minor) द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा को मान्य नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित कोई सम्पत्ति पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो, उसे किसी श्रेणी के लिये आरक्षित किसी अन्य सम्पत्ति हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

दो: निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया (Procedure for Submission of Bid Documents)

1. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी निविदाएँ द्वि-लिफाफा पद्धति (Two Envelope System) के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। {"लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)" निविदा को प्रक्रिया बद्ध करने और पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुती के लिये तथा "लिफाफा बी- निविदा लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" विहित निविदा प्रपत्रों में निविदा की प्रस्तुति हेतु।
2. उनके लिए, जो प्राधिकरण से निविदा प्रपत्रों को क्रय करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग लिफाफे प्रदान किये जाएंगे जिन्हें "लिफाफा ए-पात्रता संबंधी लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)", "लिफाफा बी- निविदा लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)" तथा तृतीय लिफाफा (आवरण लिफाफा) {Third Envelope (Cover Envelope)} के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

3. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ने प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाऊनलोड किया हो तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को तीन पर्याप्त आकार के पृथक लिफाफों की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों को सुविधाजनक ढंग से समायोजित किया जा सके, इन्हें सील बन्द किया जा सके तथा इन्हें “लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा”, “लिफाफा बी— निविदा लिफाफा” तथा आवरण लिफाफा (Cover Envelope) अंकित करते हुए प्रत्येक लिफाफे पर नाम, विज्ञापन क्रमांक 236 दिनांक 03.10.2018 तथा योजना क्रमांक 113 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा” दर्शाते हुए इसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण को संबोधित करते हुए प्रेषित किया जाएगा।
4. इच्छुक व्यक्तियों को लिफाफा ए तथा लिफाफा बी में, निम्न रूप से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार जानकारी प्रदान करने और उसे उचित रूप से सील बन्द करने की अपेक्षा की जाती है। लिफाफा ए तथा लिफाफा बी को आवरण लिफाफे में रखकर इसे सील बंद (सील) किया जाएगा।

तीन: निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण (Validity of Bid, Security and Forfeiture of Bid Security)

1. निविदाएँ, निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि से 90 दिवस तक वैध रहेंगी।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को फॉर्म के साथ संलग्न सूची अनुसार की प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) (bid security) इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट अथवा पे—आर्डर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी भी रूप में (अर्नेस्टमनी) निविदा प्रतिभूति मान्य नहीं होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएँ स्वीकार न की गई हों, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तथा जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में या अन्यथा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना पाया गया हो, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) समपहृत कर ली जाएगी।

चार : प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख (Information/Documents to be Provided)

लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा (Envelope A-Eligibility Envelope)

1. ऐसे प्रकरण में जहां निविदा—प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाऊनलोड किया गया हो, या निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा दस्तावेज शुल्क (Bid Document Fee) (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, अथवा जहां निविदा प्रपत्र यूनियन बैंक आफ इंडिया प्राधिकरण भवन शाखा से क्रय किया गया हो वहां निविदा दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगी।
 2. निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) (Bid Security) निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को फॉर्म के साथ संलग्न सूची अनुसार इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में संलग्न करना होगा।
 3. अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे।
- अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु (For Individual/Joint Applicants)**
- (एक) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ—पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि यह लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो
- (दो) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ—पत्र (Affidavit) (भाग—दो)।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(तीन) सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (यदि किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित भूखण्डों के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो)। जहां आरक्षित श्रेणी के भूखण्डों हेतु निविदाएँ को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदाएँ को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार होंगे। **निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया पाया गया तो संपूर्ण जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।**

सरल क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
5	सैनिक / भूपू सैनिक	सैनिक कल्याण बोर्ड
6	विकलांग	जिला मेडिकल बोर्ड / सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
7	इं.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इं.वि.प्रा. से जारी वर्तमान में कार्यरत का प्रमाण पत्र
8	बुद्धिजीवी / श्रमजीवी / पत्रकारों कलाकारों के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
9	महिला आरक्षण	

(चार) सम्पत्ति हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** और सम्पत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन एवं शर्तें **(भाग-तीन)**

(पाँच) निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आयडी कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस की स्व-हस्ताक्षरित फोटो कॉपी।

(छः) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए)

ब. किसी विधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/इकाई हेतु (For Company/ Firm/Entity registered under any Law)

(एक) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी संकल्प की प्रति।

(दो) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र **(भाग-दो)** के अनुसार शपथ-पत्र।

(तीन) इकाई के निगमन (incorporation) संबंधी प्रमाण नियमावली संबंधी (ज्ञापन-पत्र)/भागीदारी विलेख (Partnership Deed)/न्यास विलेख (Trust Deed)/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख आदि (Documents of Registration of Society, etc)

(चार) संपत्ति के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु निर्देशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** तथा संपत्ति के आबंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें **(भाग-तीन)**

(पाँच) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए)

4. वांछित अर्हकारी जानकारी/अभिलेखों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदाएँ को अस्वीकार किया जाएगा। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार के अनुसार भी किसी भी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह अभिलेखों के सत्यापन/उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि करने बाबत और/या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।

5. लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer)/निविदा से संबंधित कोई जानकारी सम्मिलित नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे प्रस्ताव/निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

लिफाफा 'बी'— निविदा लिफाफा (Envelope B-Bid Envelope)

लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र में सम्मिलित होगी। (भाग—चार)।

पांच: निविदा प्रस्तुति की अन्तिम तिथि तथा निविदा प्रस्तावों को खोलने की प्रक्रिया (Bid Due Date and Opening of Bids)

1. निविदाएँ को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग-2 के समक्ष दिनांक **23.10.2018 सायं 4.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है।**
2. निविदाओं को 7, रेसकोर्स रोड़ प्राधिकरण भवन, इन्दौर में स्थित प्राधिकरण कार्यालय में कक्ष क्रमांक 104/105/106 में सम्पदा अधिकारी वर्ग-2 के समक्ष दिनांक **23.10.2018 सायं 4.15 बजे खोला जाएगा।**
3. निविदा खोलने के प्रथम चरण में केवल पात्रता लिफाफे (eligibility envelope) को ही खोला जाएगा तथा प्राधिकरण निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परीक्षण करेगा।
4. अभिलेखों के परीक्षण के बाद, केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफों को उसी समय खोला जाएगा।

ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफों को खोलने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, वे निविदा खोलने के समय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

छह: उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता की घोषणा (Declaration of Highest Bidder)

1. सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य से नीचे प्रस्तुत की गई दरों पर निविदाएँ को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्यक्षीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
3. प्रस्तुत की गई निविदाएँ का अंतिम परिणाम निविदा लिफाफा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व के भीतर घोषित किया जाएगा तथा इसे प्राधिकरण के सूचना-पटल के साथ-साथ प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. प्राधिकरण के पास किसी भी निविदा/समस्त निविदाएँ को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सात: पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना (Change of Address and Tracking of Bid) एवं संपत्ति का भौतिक सत्यापन।

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में संसुचित किया जाएगा।
2. प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण के सूचना पटल/वेबसाइट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व भूखंड/भूखंडों का भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

भाग—दो : शपथ—पत्र हेतु प्रपत्र (Format for affidavit)

(सील बंद लिफाफे 'ए' : पात्रता लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

(शपथ—पत्र को रुपये 100 /— के गैर—न्यायिक स्टाम्प (Non-judicial stamps) पर विधिवत नोटरी प्रमाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ—पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :
 मेरा नाम :
 पिता/पति का नाम :
 पता :
 व्यवसाय :
 आयु :
 वार्षिक आय :
2. यह कि मैं ————— (नाम) ————— (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम)
 की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार, —————
 की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।
3. यह कि मैं ————— नाम ————— (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम)
 को संलग्न शपथ—पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
4. यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति आबंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।
5. यह कि निविदा के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।
6. यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा सम्पत्ति के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को भलीभांति समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।

7. यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण को मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई सम्पत्ति को भी रद्द करने का अधिकार होगा।
8. यह कि यह शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित सम्पत्ति अर्थात् संपत्ति/भूखंड क्रमांक ----- के आबंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है

दिनांक :

.....

अभिसाक्षी

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं, पिता/पति श्रीसत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न ही इसमें कुछ छिपाया गया है। यह सत्यापन आज दिनांक ----- को किया गया।

.....

अभिसाक्षी

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

1. जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
2. ऊपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।

भाग-तीन: सम्पत्ति के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Allotment of Property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, सील बंद लिफाफा 'ए' अर्थात्, पात्रता लिफाफे (Eligibility Envelope) में प्रस्तुत की जाए)

एक: भुगतान की शर्तें (Payment Terms)

1. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता (Bidder) को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण-पत्र/मांग-पत्र जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर कुल उद्धरित (quoted) अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रथम प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि (निविदा प्रतिभूति राशि/अर्नेस्ट मनी के समायोजन पश्चात) जमा करनी होगी।
2. उक्त राशि जमा उपरांत द्वितीय प्रारंभिक 25 प्रतिशत राशि आरक्षण पत्र जारी दिनांक से 4 माह की समयावधि में जमा कराई जानी होगी।
3. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा की स्वीकृति के बाद आरक्षण/मांग-पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर रुपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non-judicial stamps) अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
4. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की प्रारंभिक 50 प्रतिशत (प्रथम 25 + द्वितीय 25 प्रतिशत राशि) राशि एवं अनुबन्ध-पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
5. जहां सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध में उक्त राशि जमा कराने बाबद समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो विनियम की कंडिका 8 (3) अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि देय अधिमूल्य राशि पर 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगा।
6. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर निविदा प्रस्तुतकर्ता भुगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहृत कर सकेगा।
7. आवंटिती (Allottee)/हस्तांतरिती (Transferee) द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि के अवशेष 50 प्रतिशत भाग का भुगतान 12/20 त्रैमासिक बराबर किस्तों में 3/5 वर्षों की समयावधि के भीतर (जो पांच वर्षों से अधिक न होगी) 10/10.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से किया जाएगा।
8. जहां राशि का भुगतान किस्तों में किया जा रहा हो वहां विहित अनुसूची (आवंटन पत्र में निर्धारित अनुसार) के अनुसार किस्तों का भुगतान न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा ग्राही के आवंटन को निरस्त किया जावेगा।
9. 6 से अधिक मासिक किस्तें तथा 2 से अधिक त्रैमासिक किस्तों का भुगतान न करने की स्थिति में आवंटिती को किया गया आवंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
10. आवंटन को पुनर्जीवित किये जाने हेतु विनियम की कंडिका 9 अनुसार पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
11. पांच वर्षों की अवधि के बाद भुगतान बकाया कोई राशि लंबित होने पर चूककर्ता को आवंटन की तारीख से 5 वर्ष की समयावधि पर बकाया शेष राशि पर ब्याज प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।
12. तथापि, यदि समस्त किस्तों का भुगतान, आवंटन तिथि से 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द कर दिया जावेगा इस प्रकार भुगतान न किये जाने के कारण, ऐसे आवंटन रद्द किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 25 प्रतिशत राशि के बराबर राशि राजसात कर ली जावेगी। तथा शेष मूलधन विनियम की कंडिका 9 अनुसार लौटा दी जाएगी।
13. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
14. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बड़े हुवे क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना विनियम की कंडिका 18 (एक-अ) अनुसार की जावेगी।
15. यदि किसी विशिष्ट भूमि का आवंटिती/भू-स्वामी उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि (appurtenant land) के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने विनियम की कंडिका 23 अनुसार आवंटन करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

16. आवंटिती/भू-स्वामी शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

दो: सम्पत्ति को पूर्ण स्वामित्व पर प्रदान करने संबंधी शर्तें (Terms for free-hold Property)

1. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई/समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. अधिमूल्य (प्रीमियम) की 50 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही के अनुपस्थिति की दशा में सम्पत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है ऐसा माना जावेगा।
3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा पूर्ण स्वामित्व विलेख (Free hold)/दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती/पूर्ण स्वामित्वधारी (Free hold) को अनिवार्यतः पंजीयक (Registrar) के कार्यालय से पूर्ण स्वामित्व विलेख का पंजीकरण कराना होगा। पूर्ण स्वामित्वधारी अभिलेख के पंजीकरण से संबंधित समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पूर्ण स्वामित्वधारी को विलेख के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर पूर्ण स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
5. जहां सम्पत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन (natural devolution of her ship) के दौरान प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

तीन: आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में नामोद्दिष्ट उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी को नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning Permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो), तथा इन्दौर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की जो भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो, स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनधिकृत माना जाएगा, तथा ऐसे कृत्य को हटाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी तदनुसार प्रारंभ की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके नामोद्दिष्ट उपयोग से पृथक् होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में, पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी।
4. पूर्ण स्वामित्वधारी कर के सेवा संयोजनों से संबंधित आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिक निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू-स्वामी नगर पालिक निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

6. प्राधिकरण द्वारा भूखंड के आधिपत्य के सौंपे जाने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर स्वीकृत नक्शों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी के अनुरोध पर ऐसी अवधि में वृद्धि, वृद्धि के प्रत्येक वर्ष के लिए उस पर निम्न तालिका अनुसार अर्थदण्ड (compounding fees) (जो रुपये 10,000 से अधिक न होगा) के साथ अधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि पूर्ण करने के अध्यधीन अधिरोपित कर सकेगा।

अ.क्र.	संपत्ति का विवरण	प्रति वर्ष राशि रुपये में
1	कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस)	3000
2	आवासीय संपत्ति	5000
3	व्यवसायिक एवं अन्य संपत्ति	10000

अधिपत्य प्रदान करने की तारीख से छह वर्ष की पूर्णता पर यदि पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी ने अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्रफल के न्यूनतम दस प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य पूर्ण न किया गया हो, तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी पर रुपये 1000 प्रति दिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता।

चार: आवंटन का अंतरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अन्तरण संपत्ति की आवंटन की तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के उपरांत ही किया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित की गई संपत्तियों के बारे में, अंतरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता रखता हो जिस हेतु उक्त संपत्ति को पूर्व में आरक्षित थी अंतरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अंतरण तारीख को प्रचलित प्रयोज्य कलेक्टर गाईड लाईन दर (applicable guideline rate) इनमें से जो भी अधिक हो, की एक प्रतिशत दर से भुगतान योग्य होगा।

पाँच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions)

- यदि निविदा के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा “मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2013” एवं विनियम के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उद्भूत होती है तो पश्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होंगे तथा भू-स्वामी पर बन्धनकारी होंगे।
- यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया हो, निविदा प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये बन्धनकारी होंगी।
- आवंटन के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यदि इस प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
- जहां कहीं शब्द “प्राधिकरण (Authority)” उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण, नामनिर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशिती (Permitted assignees) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

छह: विशेष शर्तें (Special Conditions)

- विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग-एक भाग-दो तथा भाग-तीन निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को भाग- एक, भाग-दो तथा भाग-तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा “ए पात्रता दस्तावेज” में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वेबसाइट में अधिसूचना के माध्यम से, या किसी अन्य प्रकार से भी निविदा दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन निविदा प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा।

दिनांक

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

भाग चार : निविदा प्रपत्र (Bid Form)
योजना क्रमांक 113 में आवासीय उपयोग के भूखण्ड हेतु निविदा प्रपत्र
(इसे सील बंद लिफाफा 'बी' में प्रस्तुत किया जाए)

DOWNLOAD FORM

विज्ञापन क्रमांक 236

दिनांक 03.10.2018

निविदा प्रपत्र क्रमांक

मूल्य रुपये 590/-

अहस्तान्तरणीय (Not Transferable)

प्रति,

सम्पदा अधिकारी
 इन्दौर विकास प्राधिकारी,
 इन्दौर (मध्य प्रदेश)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम

निविदा प्रस्तुतकर्ता
के पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं

महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक 236 दिनांक 03.10.2018 के संदर्भ में, जो योजना क्रमांक 113 के आवासीय उपयोग के अंतर्गत भूखण्ड के आवंटन के लिए है तथा जिसे योजना क्रमांक से अधिसूचित किया गया है, मैं/हम मेरी/हमारी निविदा पूर्ण स्वामित्वधारी/भूमिस्वामी अधिकारों के आधार पर तथा मैं/हम प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्रों सभी निबन्धनों तथा शर्तों से आबद्ध होने की सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में भूखण्ड के आवंटन हेतु प्रस्तुत चाहता हूँ/चाहते हैं। मैं/हम पूर्णतया विधिवत स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज के समस्त निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़ लिया गया है, स्पष्टतया समझ लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु अपनी/हमारी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं, जो प्राधिकरण की निविदा-प्रक्रिया तथा भूखण्ड/इकाई के आवंटन की शर्तों तक सीमित न होकर, उसे सम्मिलित करते हुए होंगे। मैं/हम यहां पर इस निविदा के साथ निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं। मैं/हम अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ /रहे हैं :

आवेदक के मूल ब्यौरे :

01	निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम (यदि निविदा कम्पनी / फर्म / किसी अन्य इकाई के नाम से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें)	1. 2. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में) 3. (संयुक्त आवेदकों के प्रकरण में)
02	निविदा प्रस्तुतकर्ता संस्था/कम्पनी के निदेशक /निदेशकों/का नाम (कम्पनी/संस्था/ किसी अन्य इकाई के प्रकरण में)	
03	निविदा प्रस्तुतकर्ता के पिता/पति का नाम	
04	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता दूरभाष / मोबाईल	 (कार्यालय) (निवास)
	ई-मेल पता	

निविदादाता के हस्ताक्षर

हमने यह निविदा प्रारूप यूनियन बैंक आफ इंडिया, प्राधिकरण भवन शाखा द्वारा जारी रसीद क्रमांक.....दिनांक के माध्यम से प्राप्त किया गया है (नगद भुगतान की मूल रसीद लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत की गई है)। हमारे द्वारा यह निविदा प्रारूप प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तथा निविदा प्रारूप के मूल्य स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक दिनांक राशि रुपये (अंको मे) (शब्दों में रुपये) लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत कर दिया गया है।

मैं/हम इस निविदा को स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं कि मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी), के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक दिनांक रुपये (अंको मे) लाख (शब्दों में रुपये) (प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसे लिफाफा 'ए' में प्रस्तुत किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अप्रतिसंहरणीय (Irrevocable) है तथा यदि मैं/हम इसे प्रतिसंहत करता हूँ/करते हैं तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची अनुसार प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रुपये (अंको मे.....) (शब्दों में रुपये) समपहत कर ली जाएगी।

मैं/हम यहां यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में मैं/हम पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं। मैं/हम यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी; जैसी कि आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने बाबत चाही जाए, मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारित करता हूँ/करते हैं। मुझे/हमें यह भी अवगत है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा यदि मैं/हम भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) को समहृत करने का अधिकार होगा।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमन्त्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, से इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन (waive) का अधिकार रखता है।

मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी योग्यता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबद्ध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप-पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।

मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड का उपयोग पूर्ण स्वामित्वधारी (free hold) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनिधम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम ऐसे पूर्ण स्वामित्वधारी/भू-स्वामी के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त करता/करते हैं जिसका निष्पादन भूखण्ड का आवंटन होने पर किया जाएगा। उल्लंघन की दशा

निविदादाता के हस्ताक्षर

में आवंटन/पूर्ण स्वामित्व भू-स्वामी विलेख की शर्तों के लिये रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसारण, शुल्क, दरो तथा करो के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत संपत्ति को लागू हो ।

मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :

सम्पत्ति क्रमांक (अंकों में)	सम्पत्ति क्रमांक (शब्दों में)	निविदा-दर प्रति वर्ग मीटर (अंकों में)	निविदा-दर प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में)

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल सम्पत्ति के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दशा में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा।

मैं/हम निविदा राशि का अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक किये जाने पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति क्रमांक तथा निविदा दरों का रू. प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और/सम्पत्ति संख्या में उपरिलेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

भवदीय,

दिनांक :

निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

.....

स्थान :

निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

.....

यदि निविदा कम्पनी/संस्था/किसी अन्य संविधान :
के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही हो
उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

निविदादाता के हस्ताक्षर



इन्दौर विकास प्राधिकरण INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

विज्ञापन क्रमांक 236

दिनांक 03-10-2018

योजना क्रमांक 113 के आवासीय उपयोग के 16 भूखंडों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार (फ्री-होल्ड) पर व्ययन हेतु निविदा आमंत्रण

फ्री-होल्ड भूखंड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के सामने की ओर

प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर भूखंड का कब्जा

प्राधिकारी की योजना क्रमांक 113 के आवासीय उपयोग के 16 भूखण्डों के लिये के लिये न्यूनतम दर से अधिक की निविदा प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका में दर्शित भूखण्डों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार (Free hold) भू-स्वामी अधिकार पर व्ययन हेतु आमंत्रित की जाती है :-

अ. क्र.	भूखण्ड क्रमांक	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	आरक्षण श्रेणी	न्यूनतम दर रुपये प्र.व.मी. में	प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) राशि रुपये लाख में
1	2	3	4	5	6	7
1	200-एफ (कार्नर) व 200-जे (कार्नर)	02	135.00	सामान्य	48,400	6.50 लाख
2	200-एच	01	135.00	सामान्य	44,000	5.90 लाख
3	214 (कार्नर+गार्डन के सामने)	01	108.00	सामान्य	50,600	5.45 लाख
4	266-बी एवं 290-ए	02	162.00	सामान्य	44,000	7.10 लाख
5	250, 252, एवं 215	03	108.00	सामान्य	44,000	4.75 लाख
6	249	01	108.00	स्व.सं.सै./लोकतंत्र सै. या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति	44,000	4.75 लाख
7	288	01	162.00	विकलांग	44,000	7.10 लाख
8	253	01	108.00	अ.पि.व.	44,000	4.75 लाख
9	112-बी एवं 195-बी	02	135.00	अनुसूचित जनजाति	44,000	5.90 लाख
10	112-सी	01	135.00	अनुसूचित जाति	44,000	5.90 लाख
11	248	01	108.00	अनुसूचित जाति	44,000	4.75 लाख

—:: स्थल की जानकारी ::—

- इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा प्रपत्र यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं (7, रेसकोर्स रोड, प्राधिकरण भवन, अन्नपूर्णा मार्ग, नर्सिंग बाजार, स्कीम नं. 54) एवं ICICI बैंक की शाखाएं (एयरपोर्ट रोड, स्कीम नंबर 140 रतलाम कोठी एवं मालव परिसर) में (बैंक कार्यालयीन समय में) रुपये 590/- जी.एस.टी. सहित बैंक ड्राफ्ट/चेक/नगद जमा कर क्रय कर सकते हैं।
- निविदा प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा प्रपत्र/दस्तावेज शुल्क रुपये 590/- (जी.एस.टी.सहित) डी.डी./पे-आर्डर जमा करना होगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि आरक्षण/मांग पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि में जमा करना होगी एवं द्वितीय 25 प्रतिशत राशि 04 माह में जमा करना होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 3/5 वर्ष की 12/20 त्रैमासिक किश्तों में 10/10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने की सुविधा रहेगी।
- निविदा प्रस्तुतकर्ता को तालिका के कॉलम क्रमांक-7 में उल्लेखित प्रतिभूमि (अर्नेस्ट मनी) की राशि का डी.डी./पे-आर्डर भी निविदा के साथ जमा करना होगा।
- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकारी को होगा, जिसके लिये कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक 04-10-2018 से 22-10-2018 तक	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 23-10-2018 सायं 4.00 बजे तक	दिनांक 23-10-2018 को सायं 4.15 बजे निविदा प्रपत्र खोले जावेंगे
--	--	--

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विज्ञापन से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें :

श्री राजेश उपाध्याय (मार्केटिंग सेल) मो.नं. 98936-99113 श्री लीलाकिशन शाक्यवार, सहायक यंत्री मो.नं. 9755590600,

श्री प्रमोद गर्ग, सम्पदा अधिकारी वर्ग-2 मो.नं. 98936-99157

प्राधिकरण की वेबसाइट www.idaindore.org एवं IDA app भी देखें

PART LAY-OUT PLAN OF SCH.NO 113

